

मध्यप्रदेश शासन  
परिवहन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

33

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 23 / 5 / 2015

क्रमांक एफ 22-87/2005/आठ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 215 (2) के अंतर्गत राज्य सड़क सुरक्षा समिति का गठन आदेश दिनांक 28.10.2005 द्वारा किया गया था। उक्त आदेश को अतिष्ठित/निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :-

अध्यक्ष

- |     |  |         |
|-----|--|---------|
| 1.  | माननीय मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन-                    | अध्यक्ष |
| 2.  | माननीय मंत्री, गृह विभाग                             | सदस्य   |
| 3.  | माननीय मंत्री, परिवहन विभाग,                         | सदस्य   |
| 4.  | माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग        | सदस्य   |
| 5.  | माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग                     | सदस्य   |
| 6.  | माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | सदस्य   |
| 7.  | माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग,                   | सदस्य   |
| 8.  | माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग                    | सदस्य   |
| 9.  | महापौर नगर पालिक निगम इन्दौर                         | सदस्य   |
| 10. | महापौर नगर पालिक निगम भोपाल                          | सदस्य   |
| 11. | महापौर नगर पालिक निगम जबलपुर                         | सदस्य   |
| 12. | महापौर नगर पालिक निगम ग्वालियर                       | सदस्य   |

शासकीय सदस्य

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह विभाग,
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग,
3. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग,
5. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
6. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग,
7. प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,
8. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,
9. परिवहन आयुक्त,
10. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास,

सदस्य सचिव-

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (यातायात)  
परिवहन क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले 6 अशासकीय सदस्य पृथक से मनोनीत किये जाएंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(ओम प्रकाश श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग